औद्योगिक क्षेत्र

- किसी देश के आर्थिक को तीव्र करने के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है | एक सीमा के बाद कृषि उत्पादकता उद्योगों के विकास निर्भर करती है | औद्योगिकरण देश कीसुदृढ़ एवं संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य है
- औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक विकास की आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है | स्वतंत्रता के पश्चात् देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल,1948 को की गई | इसके द्वारा देश में मिश्रित एवं नियन्त्रित की नींव रखी गई |

प्रथम औद्योगिक

- सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया और उद्योगों को निम्न चार श्रेणियां में बांटा गया -

(1) **प्रथम श्रेणी** सरकार क्षेत्र- इसमें 3 उद्योग थे -

i.अस्त्र-शस्त्र निर्माण

ii.अणुशक्ति का उत्पादन व नियंत्रण

iii.रेल यातायात का स्वामित्व व नियंत्रण

(2) **दुसरे श्रेणी** -इसमें 6 उद्योग रखे गए -

i. कोयला

ii. लोहा एवं इस्पात

iii. हवाई जहाज निर्माण

iv. जलयान निर्माण

v. टेलिफोन तथा वायरलेस

vi. खनिज तेल उद्योग

(3)**तीसरी श्रेणी-** इसमें 18 उद्योग सम्मिलित थे निजी नियंत्रण में चलाए जाएगें भारी रासायनिक उद्योग,चीनी,सूती एवं ऊनी वस्त्र,सीमेंट,कागज,नमक,मशीन टूल्स आदि शामिल किए गए |

(4) **चौथी श्रेणी** - इसमें शेष सभी उद्योगों को रखा गया |

- समाजवादी ढ़ंग के समाज की स्थापना के उद्देश्य से 1948 की औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए द्वितीय पंचवर्षीय के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरु जी के द्वारा पार्लियामेंट में दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल,1956को की गई |
- **दूसरी औद्योगिक** नीति 1956 के अंतर्गतउद्योगों को चार की बजाए तीन वर्गों

(i) प्रथम अनुसूची-अ : इसमे 17 उद्योग शामिल किए गए | ये उद्योग मुख्यता आधार भूत उद्योग,यातायात तथा खनिज पदार्थों के विकास से सम्बन्धित थे | अस्त्र-शस्त्र,अणु शकित,बिजली के भारी उपकरण आदि |

(ii) द्वितीय अनुसूची - व : इसमें 12 उद्योग शामिल किए गए | सरकर की पहल व भागीदारी के साथ निजी उदयोगपतियों को अवसर | रासायनिक खाद,मशीन,टूल्स,दवाएं,सीमेंट,उद्योग आदि |

(iii) तृतीय अनुसूची - स : अनुसूची अ और व के अतिरिक्त अन्य उद्योगों को शामिल किया गया | इस उद्योगों के समस्त विकास की जिम्मेदारी निजी उदयमियों पर होगी | मदर डेयरी आदि |

- 1950 में संसद ने 'उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम' 1951 पारित किया जिसे 8 मई,1952 को लागू किया गया | इस अधिनियम के अनुसार नए कारखानों को स्थापित करने के लिए और वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार से 'लाईसेंस लेना अनिवार्य' बना दिया गया |
- मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना तथा किसी भी प्रकार का विदेशी निवेश आमंत्रित नही करना |

- 1969 में प्रस्तुत दत्त समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 18 फरवरी,1970 को नई औद्योगिक लाईसेंस नीति की घोषणा की |
- राजीव गाँधी सरकार ने लाईसेंस नीति को उदार बनाने की दिशा में भारी परिवर्तन किए ताकि बड़े औद्योगिक घरानों को विशेष रूप में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम के सीमा बन्धनों से मुक्त किया जाए |
- **एकाधिकार एवं प्रतिबन्धात्मक व्यापारअधिनियम :** नई औद्योगिक नीति,1991 में MRTP कंपनियों और प्रधान उद्यमों के लिए परिसंपत्ति सीमा समाप्त कर दी गई है | अब MRTP कपंनियाँ नए उद्यम स्थापित के सकेगी,वे अपने विस्तार,विलयन,सम्मेलन और स्वामित्वहरण की योजनाओं को बिना सरकारी पुर्वामती के लागू कर सकेंगी |

फेरा और फेमा :

- ब्रिटिश शासन के दौरान एक अस्थायी तरीके के रूप में फेरा का गठन हुआ जिसे 1957 में एक स्थायी एक्ट के रूप में लागू किया गया जो जनवरी 1973 तक लागू रहा |
- उदारवादी व्यवस्था को अधिक अनुरूप बनाने के लिए फेरा को फेमा 1999 द्वारा,जो जून 2000 में प्रभावी बना प्रतिस्थापित के दिया गया |
- फेमा के उद्देश्य विदेशी व्यापर तथा भुगतान को सुगम बनाना था | यह एक दिवानी कानून है तथा क्म्पाउन्दिग की धारणाफेमा की अलग विशेषता है |

औद्योगिक नीति 1956 के अंतर्गत

1.औद्योगिक विकास होने लगा

2.रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई |

- परन्तु कुछ सीमाओं के तहत औद्योगिक विकास देर कम वृद्धि दर से हुई |
- औद्योगिक उपलब्धियों को मजबूती प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा बनाने की प्रक्रिया में तेजी लेन के लिए भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई,1991 को 'नई औद्योगिक-नीति' की घोषणा Parliament में पी.वी.नरसिम्हा राव द्वारा की गई जो मनमोहन सिंह से प्रभावित थी | नई औद्योगिक नीति 1991 के मुख्य उद्देश्य है -

(i) भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नौकरशाही नियंत्रण से मुक्त करना |

(ii) भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण चालू करना |

(iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाना |

(iv) भारत में उद्योगों की प्रति प्रवेश अवरोधों को समाप्त करना |

नई औद्योगिक नीति 1991 में LPG को अपनाया |

1. **उदारीकरण :** उदारीकरण की नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार थोड़ा सीमित के दिया गया | और कुछ चुने हुए सार्वजनिक उद्यमों की शेयर पूंजी में सरकार के भाग को हटाया जाने लगा |
   - उदारीकरण की नीतियाँ थी लाइसेंसिंग व्यवस्था से मुक्ति,सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में कमी |
   - आयत पर कर रूपी,व्यापारिक अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना |
2. **निजीकरण :** निजीकरण के अंतर्गत सरकार के आर्थिक उत्तरदायित्वों को निम्न प्रकार से कम करना -
   I. सरकार का सार्वजनिक कम्पनियों के स्वामित्व व प्रंबधन से बाहर होना |
   II. सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को सीधे बेच देना |
3. **वैश्वीकरण :** वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी निवेश को आमंत्रित करना या देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना |
   - इसका झुकाव अधिकतया निजीकरण एवं उदारीकरण पर ही था |

इस नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान -

- नई औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़ के अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया,किन्तु वर्तमान में सिर्फ 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है,ये है-

I. अल्कोहल मुक्त पेय पदार्थो का आसवन और निर्माण |
II. तम्बाकू के सिगार और सिगरेट तथा तम्बाकू से बनी अन्य वस्तुएं |
III. इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस तथा रक्षा साज-समान |
IV. डिटोनेटिंग फ्यूज,सेफ्टी,गनपाउडर,नाइट्रो सेल्युलोज तथा माचिस सहित औद्योगिक विस्फोटक सामग्री |
V. जोखिम वाले रसायन

- नई आर्थिक सुधार नीति-1991 को शुरू करने का मुख्य कारण खाड़ी-युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ जाने के कारण भारत में भुगतान संतुलन की समस्या थी |
- 1991 की नीति के अनुसार 1956 की नीति द्वारा उद्योगों को सुरक्षित सूचि को घटाकर 8 कर दिया गया लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल तीन उद्योग ही आरक्षित है -
  1. परमाणु ऊर्जा
  2. भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की 15 मार्च,1995 की जारी अधिसूचना के अंतर्गत विशिष्ट उत्पाद जैसे - हाइड्रोसायनिक एसिड व उसके उत्पाद आदि |
  3. रेल परिवहन
- औद्योगिक विकास के लिए निजी क्षेत्र का अत्यधिक स्वामित्व के कारण निजीकरण को बढ़ावा तथा 'केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग' को मजबूती प्रदान करना |
- भारत में विदेशी निवेश पर भी नियंत्रण लगाए जाते रहे है | इस नीति में अधिकत्तर उद्योगों के लिए विदेशी ईक्विटीकी सीमा को 51% बढ़ाकर 74% और 100% कर दिया | वर्तमान में अधिकत्तर क्षेत्रों में स्वतः अनुमोदन आधार पर 100% तक विदेशी निवेश करने का अधिकार है
- 1991 के बाद भारत में विदेशी निवेश को निरंतर बढ़ावा मिला |

विदेशी निवेश में निर्धारित सीमाएं

- विज्ञापन बीमा 26%
- मोबाइल जैसे वोडाफोन 74%
- निजी बैंकों में 74%
- सार्वजनिक बैंकों में 49%
- होटल तथा पर्यटन,भवन निर्माण,दवा व औषधि,राष्ट्रीय राज्यमार्ग,कृषि100%
- कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश प्रतिबंधित है | जैसे-
  i. लॉटरी
  ii. परमाणु ऊर्जा
  iii. औद्योगिक विस्फोटक
  iv. फुटकर व्यापर
  v. सट्टा बाजार और जुआ
- भारत में विदेशी निवेशक -
  I. सबसे प्रथम - मोरिशस
  II. दूसरा-U.S.A
  III. तीसरा - जापान
- भारत में विदेशी निवेश -
  I. सर्वाधिक प्रथम - मुम्बई में
  II. द्वितीय - दिल्ली
- 1991 में सर्वाधिक विदेशी निवेश के क्षेत्र
  I. प्रथम -विद्युत् उपकरण जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेर आदि |
  II. द्वितीय - टेलीकम्युनिकेशन
  III. तृतीय - परिवहन
- विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए
- विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है इसे दिल्ली रूट भी कहते है
- Bilateral investment Promotion Protection Agreement - BIPPA)-भारत में विभिन्न देशों के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए है |
- हाल ही में यह समझौता 'नेपाल' के साथ किया गया है |

- इससे पहले यह 'बांग्लादेश' के साथ किया गया है |
- इस समझौते के अंतर्गत दो देशों के बीच समझौता होने से दोनों देश एक-दुसरे में अपना-अपना Plan स्थापित कर सकते है | और एक देश को दुसरे देश के Plant को Protection देना होता है लेकिन उसका अधिग्रहण नहीं कर सकता |
- नोट: नेपाल व बांग्लादेश ने पहले इसका विरोध किया था क्योंकि इन्हें दुसरे देश की कम्पनियों के खुल जाने पर इनकी घरेलू आर्थिक स्थिति प्रभावित होने का भय था |
- भारत में उद्योगों को मुख्य रूप से निम्नलिखित चार वर्गों में बाँटा गया है -
- **आधरभूत उद्योग :** जो भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों को आवश्यक आगत प्रदान करते है,जैसे बिजली,कोयला,लोहा व इस्पात,कच्चा पेट्रोलियम रिफायनरी उत्पाद आदि |
- **पूँजीगत उद्योग :** जो मशीनरी एवं अन्य उपकरण प्रदान करते है- जैसे मशीनरी एवं मशीनरी औजार,बिजली के ट्रासफॉर्मर व मोटरों आदि |
- **मध्यवर्ती वस्तु उद्योग :** जो ऐसी वस्तुएं करें जिनका प्रयोग दुसरे उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया में होता है -जैसे-रुई,मानव निर्मित धागे,नट-बोल्ट आदि |
- **उपभोक्ता वस्तु उद्योग :** जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने वाली वस्तुओं का उत्पादन करते है ये वस्तुएं दो प्रकार की होती होती है |
- **महारत्न कम्पनियों**

कम्पनी	स्थापना	मुख्यालय	कार्य क्षेत्र
1.भारतीय इस्पात प्राधिकरण	1954	नई दिल्ली	स्टील और आयरन
2.तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम	1956	देहरादून	तेल एवं प्राकृतिक गैस
3.भारतीय तेल निगम	1964	नई दिल्ली	डीजल,गैसएवं पेट्रो कैमिकल्स
4.राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉपोर्रेशन	1975	नई दिल्ली	इलेक्ट्रकल ऊर्जा
5.कोल इंडिया लिमिटेड	1975	कोलकाता	कोयला खनन

I. टिकाऊ वस्तु उद्योग : जैसे टी.वी,एयर कंडिशनर,रेडियो,साइकिल,कार आदि |

II. गैर-टिकाऊ वस्तु उद्योग : जैसे चीनी,चाय,वस्त्र,कागज आदि |

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को तीन वर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है -

- विभागीय स्तर पर संचालित की जाने वाली इकाईयों-रेलवे,डाकतार विभाग आदि
- वैदयानिक निगमों द्वारा चलायी जाने वाली गैर विभागीय इकाईयों- भारतीय जीवन बीमा,भारतीय पेट्रो केमिकल निगम,भारतीय खाद्य निगम,राष्ट्रीय निगम आदि |

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों द्वारा संचालित इकाईयों - इसमे कुछ कम्पनियों अपने नाम के साथ 'निगम' और कुछ 'लिमिटेड'लिखती है - भारतीयस्टील प्राधिकरण,बोकारो स्टील लि. भारतीय तेल निगम,भारतीय हेवी इलेक्ट्रक्लस लि. आदि |

सार्वजनिक उपक्रमों में रत्न प्राप्ति के आधार पर तीन भागों में बाँटा गया है -

1.महारत्न

2.नवरत्न

3.मिनी रत्न-(i)लघुरत्न-i (ii)लघु रत्न - ii

1. **महारत्न प्राप्त कम्पनियाँ :** मई 2010 में केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कम्पनियों को 'महारत्न' का दर्जा प्रदान किया | इस दर्जे के सृजन का निर्माण भारी उद्योग मंत्रालय के 'सार्वजनिक उद्यम विभाग' द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल को 24 दिसम्बर,2009 की बैठक में लिया गया था |

इसकी आवश्यक शर्ते हैं - ये सूचीबद्ध हों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनी बनने की क्षमता हों |

- लगातार 3 वर्षो तक 5000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हों
- 30,000 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार किया हो |
- तीन वर्षों में कम्पनी का शुद्ध मूल्य औसतन 15000 करोड़ रुपए रहा हों |
- सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक उपक्रम 'तेल व प्राकृतिक गैस निगम है |
- सर्वाधिक कारोबार करने वाला सार्वजनिक उपक्रम 'भारतीय तेल निगम' है |

- कोल इंडियालिमिटेड को हाल ही में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है |

2. **नवरत्न प्राप्त कम्पनियाँ :** भारत सरकारने केन्द्रीय बजट 1997-98 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नौ सार्वजनिक उद्यम (IOC,ONGC,HOCL,BPCL,IPCL,VSNL,BHEL,SAIL,तथा NTPC को 'नवरत्नों' की सज्ञा दी थी |

- नवरत्न कम्पनियों की अधिकतम 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्ताव पर हीस्वयं निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है |
- IPCL को अप्रैल,2002 में टाटा ग्रुप को तथा VSNL को अप्रैल 2000 में रिलायंस को बचे दिया गया था |
- वर्तमान में देश ने नवरत्न कम्पनियों की संख्या 16 है |

नवरत्न कम्पनियां

1. भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लि.
2. भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लि.
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लि
4. ऑयल इंडिया लि.
5. महानगर टेलीफोन निगम लि.
6. भारतीय नौवहन निगम
7. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
8. भारत इलेकट्रानिक्स लि.
9. भारतीय गैस प्राधिकरण लि.
10. पावर फाइनेंस कॉपोरेशन
11. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि
12. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.
13. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
14. पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
15. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि.
16. नेवेलो लिग्नाइट कॉपोरेशन लि.

- नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से कम्पनियों को ज्यादा प्रशासनिक और वित्तीय सहायता मिलती है |
- ये कम्पनियाँ सरकार की अनुमति के बगैर देश या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती है और उनमे नेटवर्थ केलिए 15% तक निवेश कर सकती है |
- नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों की कम्पनियों को कुल 100 अंको में से 60 अंक प्राप्त करना होता है | ये अंक 6 मानकों द्वारा निर्धारित होते है |
- मिनी रत्न : नवरत्न के आलावा लाभ कम रहे अन्य उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने इन्हें कुछ शर्तो के साथ वित्तीय तथा संचालन आयर प्रबंध संबंधी स्वायत्तता प्रदान की है | इस उद्यमों को मिनिरत्न का लघु रत्न का दर्जा दिया गया है |
- इसकी दो श्रेणियां हैं -

I. लघु रत्न-i : वे उद्यम जिन्होंने पिछले तीन वर्षो में लगातार मुनाफा कमाया है तथा वर्षों के किसी एक साल 300 से 500 सौ करोड़ या अधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया है |

II. लघु रत्न-ii : वे उद्यम जिन्होंने तीन वर्षो में लाभ कमाया है जिनका शुद्ध मूल्य सकारात्मक है |

- वर्तमान में 62 मिनिरत्न कम्पनियाँ है |
- स्वायत्तता का अर्थ है सार्वजनिक उद्यमों को बिना बाहरी हस्तक्षेप के काम करने दिया जाए |
- भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का चरणबद्ध तरीके से निजीकरण कर रही है | भारत में निजीकरण कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण कदम कुछ चनिदा सार्वजनिक

HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

- उद्यमों में शेयर का विनिवेश है सरकार द्वारा विनिवेश की दो विधियों का प्रयोग किया गया है |

1. विशिष्ट सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों की बिक्री |
2. सार्वजनिक इकाईयों की निजी क्षेत्र के उद्यमियों के हाथ बिक्री |

निर्यात संभावना वाले प्रमुख शहर

1.तिरुपुरा	हौजरी
2.मुरादाबाद	पीतल के समान
3.लुधियाना	भारी मशीनरी एवं हौजरी
4.सूरत	रत्न आभूषण
5.पानीपत	हथकरघा
6.अलेप्पी	नारियल के रेशे का समान
7.जालन्धर	खेल का समान
8.रानिप्त	चमडा
9.विशाखापत्तनम	मछली का उत्पाद
10.अलीगढ़	ताले
11.आगरा	जूता
12.खुर्जा	मिट्टी के बर्तन
13.कांचीपुरम	रेशम साड़ी
14.शिवकाशी	माचिस औए पताखाब्म ,वैज्ञानिक उपकरण
15.जामनगर	ब्रास के उपकरण
16राजकोट	इंजन पम्प
17.वापी	रसायन
18.बटाला	मशीन उपकरण
19भागलपुर	रेशमी उत्पाद , बुनाई
20.भदोही	कालीन

- फरवरी1997 में लघु सहायक इकाइयों के संबंध में सुझाव देने के लिए 'आबिद हुसैन समिति' का गठन किया गया था |
- इसी प्रकार 'एलेक्जेंडर समिति' और 'टंडन समिति' का गठन हुआ |

आर्थिक सुधारों के लिए दो तरह के कदम उठाए गए -

1. सीमा शुल्क घटा दिया गया |
2. आयात पर (कृषि को छोडकर) से मात्रात्मक प्रतिबंध की हटा दिया गया

- एकाधिकार और प्रतिबन्धक व्यापार व्यवहार अधिनियम के कार्य क्षेत्र में दो प्रकार के प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया|
- प्रथम : वे प्रतिष्ठान जिनकी अपनी या अपने से संबधित इकाइयों को मिलाकर परिसंपत्ति100 करोड़ रुपए ऐ ज्यादा है
- द्वितीय:वे प्रतिष्ठान जो किन्ही वस्तुओं या सेवाओं की एक चौथाई से अधिक की मात्रा की आपूर्ति करते है और जिनकी परिसंपत्ति 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है |
- 24 जुलाई,1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति में MRTP अधिनियम लगभग निष्प्रभावी बना दिया गया है |
- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम,2002** :उदारीकरण और भूमंडलीकरण के मौहाल में एस.बी.एस.राजवं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था | जिसने अपनी रिपोर्ट 2000 में प्रस्तुत की | इसकी सिफारिशों में झुकाव दिया गया कि MRTP अधिनियम 1969 को निरस्त कर उसकी जगह कर उसकी जगह एक नया प्रतिस्पर्धा कानून लाया जाए | इस **प्रतिस्पर्धा कानून 2002** कहा जाता है

अधिनियम का उद्देश्य

- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बाजार में मुक्त व न्यायोचित प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करता है | इसमे तीन मुख्य व्यवस्था की गई है |

1. प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों पर रोक |
2. प्रभावी शक्ति के दुरूपयोग पर रोक |
3. संगठनों का नियमन

प्रतिस्पर्धा विधेयक,2009:

1. **प्रतिस्पर्धा विधेयक 2009**में भारतीय आयोग एवं प्रतिस्पर्धा अपील न्यायाधिकरण दोनों के गठन की व्यवस्था है | CAT एक अर्थ न्यायायिक संगठन होगा |
2. नए कानून में विलयन और अधिग्रहण को और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है |
3. कानून में मुख्य मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट को 25 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का अधिकार प्रदान किया है |

औद्योगिक रूग्णता

- 1985 के रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम में तीन कारणों के आधार पर किसी औद्योगिक कम्पनी को रुग्ण माना गया |

1. औद्योगिक कम्पनी को पजीकृत हुए कम से कम सात वर्ष हो चुके थे |
2. चालू वित्तीय वर्ष और उससे पहले वित्तीय वर्षों में हानि से काम कर रही हों |
3. पिछले पाँच वर्षो में से किसी भी वर्ष में कम्पनी की शुद्ध मलियत खत्म हो चुकी हो |

नोट : प्रारंभ में इसमें केवल निजी क्षेत्र की इकाइयों को शामिल किया गया था किन्तु दिसम्बर 1991 से सार्वजनिक क्षेत्र को भी इसमें शामिल के लिया गया औद्योगिक रुग्णता की समस्या पर विचार करने के लिए 15 मई,1987 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई |

- इसका कार्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के लिए वे सभी उपाय तय करना था जिससे उस कम्पनी की रुग्णता को दूर किया जा सकें |

कम्पनी अधिनियम - 2002 :

- दिसम्बर 2002 में कम्पनी एक्ट,2002 पारित किया गया | जिसने औद्योगिक कम्पनी अधिनियम,1985 का स्थान लिया |
- इस अधिनियम में (BIFR)को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर राष्ट्रीय कम्पनी विधि टाइव्यूनल बनाने का प्रावधान है |

नोट :

- स्वतंत्रता के पश्चात जहाँ सरकार का यह प्रयास था कि अस्वस्थ औद्योगिक इकाई का पुनर्निर्माण व पुनरूद्धारकिया जाए ताकि श्रमिकों का रोजगार बचा रहे वहीं अब उदारीकरण के दौर में प्रयास है कि अस्वस्थ औद्योगिक इकाई की बंद किया जाए ताकि उद्योगपतियों के हितों की सुरक्षा हो सकें |

औद्योगिक वित्त

- औद्योगिक वित्त को प्राप्त करने के विभिन्न साधनों को सामान्यत: दो श्रेणियों में बाँटा जाता है |

1.आंतरिक साधन:

I. अंश पूँजी - अधिकांश अधिकृत पूँजी साधारणाअंशों के निर्गमन द्वारा ही एकत्रित की जाती है
II. ऋणपत्र ये दो प्रकार के होते है -
1.परिवर्तनीय 2.अपरिवर्तनीय
III. लाभ का पुनर्निवेश- निजी क्षेत्र में पूँजी का निर्माण का सबसे उपयुक्त साधन का पुनर्निवेश ही है |

2.बाहय साधन :

I. सार्वजनिक जमाएं
II. व्यापारिक बैंक
III. उद्योगों संस्थागतवित्त प्रबन्धन

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड :

- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना केन्द्रीय बेकिंग जाँच समिति के सुझाव पर एक विशेष अधिनियम 1 जुलाई,1948 में हुई थी | इसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठनों के लिए दीर्घकालिक तथा मध्यकालिक साख की व्यवस्था करना है | वर्तमान में यह सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को

भी वित्तीय सहायता देता है | भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 25 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देने का अधिकार है |

- निगम जिन प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देता है,ऋणी कम्पनी के लिए किसी अच्छी बीमा कम्पनी से उनका बीमा करवाना आवश्यक होता है |

राज्य वित्त निगम :

- छोटे और मध्यम आकार की इकाईयों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारत सरके ने 28 सितम्बर,1951 को राज्य वित्त निगम अधिनियम पास किया था | उसके अंतर्गत राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में वित्त निगमों की स्थापना का अधिकार में प्रदान किया गया पहला राज्य निगम 1953 में पंजाब में स्थापित किया गया |
- इस समय देश 18 राज्यों में राज्य वित्त निगम स्थापित हो चुके हैं |
- इसमें सर्वाधिक ऋण वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योगों को प्राप्त हुए है |
- ये उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण देते है जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं |

भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड :

- भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 5 फरवरी,1955 में भारतीय कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में हई थी | भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम का मार्च 2002 में ICICI बैंक में विलय हो गया |
- भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना का प्रधान उद्देश्य निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को इसके विकास कार्यक्रमो में सहयोग प्रदान करना था |

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक :

- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में भारतीय रिजर्व बैंक के एक अनुसंगी बैंक के रूप में की गई परन्तु 1976 में भारतीय सरकार ने इसे अपने स्वामित्व में ले लिया इस बैंक का कार्य बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे वित्तीय सहायता देना था | लघु एवं मध्यम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वाणिज्यिक बैंकों व राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है |
- लघु क्षेत्र को बड़े पैमाने पर वित्तीय व गैर वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के उद्देश्य से सरकार ने अप्रैल 1990 ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की इसका मुख्यालय लखनऊ में है |
- सिडबी अपनी एकल खिड़की सेवा के तहत भारतीय मुद्रा के साथ-साथ विदेशी मद्रा ऋण भी उपलब्ध कराता है |
- **एकल खिड़की प्रणाली** - निवेश संबंधी सभी कार्यवाहियां एक ही स्थान पर पूरी करना | ताकि किसी Project से जुड़े डाक्यूमेंट्स,अग्रीमेंट्स आदि Deal,Sign एक ही जगह पर हो जाए |
- इससे File या रुपयों को इधर-इधर ले जाने से समय की बचत के साथ-साथ लापरवाही या अन्य गलतियों को दूर किया जा सकता है |
- इस प्रकार सम्पूर्णयता नई औद्योगिक नीति 1991 का औद्योगिक करण प्रक्रिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है |

भारतीय यूनिट ट्रस्ट :

- भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना संसद द्वारा पारित यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के तहत 26 नवम्बर,1963 को की गई जबकि इसने यूनिटों की बिक्री का कार्य 1 जुलाई,1964 से आरंभ किया |
- UTI का मुख्यालय मुम्बई तथा क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई,कोलकाता,चेन्नई तथा नयी दिल्ली में है | UTI का मूल उद्देश्य यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना तथा उसके धन को निगमों के शेयर लगाना है |

- UTI की 2003 में विभाजन कर दिया गया | UTI-1 सरकार के और UTI-2 तीन बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वामित्व में होगी |
- निजी क्षेत्र के बैंक UTi बैंक लि.का नाम बदलकर अब एक्सिस बैंक लि. कर दिया गया है |

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम,2005 :

- SEZ एक एकीकृत बस्ती होती है जिससे पूर्व विकसित आधारिक संरचना मौजूद होती है | SEZ नीति 2000 का उद्देश्य विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना है जिसमें विश्वस्तरीय उत्तम आधारिक संरचना ही,कम से कम नियम व प्रतिबंध हो |
- 1965 में एशिया का सबसे पहला निर्यात प्रोसैसिंग क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया |
- **भारत सरकार SEZ को 'आर्थिक समृद्धि' के वाहक' के रूप में प्रचारित करती है जिसमें-**
  - **(i)** तेज गति से आर्थिक विकास होगा |
  - **(ii)** ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि होगी |
  - **(iii)** बिनिर्माण व अन्य सेवा क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन होगा |
  - **(iv)** विनिर्माण व प्राद्यौगिकी कौशल आकर्षित होंगे |
  - **(v)** सार्वजनिक व निजी निवेश आकर्षित होंगे |
  - **(vi)** आधारिक संरचना का विकास होगा |
  - **(vii)** भारतीय फर्मो की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ेगी |
- SEZ अधिनियम 2005 के रो में 10 फरवरी,2006 से लागू किया गया,केन्द्र सरकार ने आठ परम्परागत निर्यात संवर्द्धन परिक्षेत्रों को 1 अप्रैल,2000 से प्रभावी एक्जिम नीति के अधीन विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में रूपांतरित कर दिया |
- चीन की तर्ज पर स्थापित किए जाने वाले इन परिक्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी वातावरण प्रदान किया जाना है,इसके लिए इस क्षेत्रों को 'शुल्क रहित एन्क्लेव माना जाएगा |
- निर्यात संवर्द्धन हेतु आधारित संरचना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने पहली बार निजी क्षेत्र में दो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स स्थापित करने की अनुमति दिसम्बर 1994 में प्रदान की थी | जो मुख्यत: रत्न और आभुष्णों गई से संबंधित था |
  (i)मुम्बई(महाराष्ट्र) (ii)सूरत (गुजरात)

निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क :

- केन्द्र सरकार ने राज्यों में निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है जिसमें केन्द्र द्वारा 75% अनुदान की व्यवस्था है | केन्द्र सरकार द्वरा अभी तक विभिन्न राज्यों में 25 पार्को के प्रस्तावों की स्वीकृत की गई है|

नोट:

- जयपुर के निकट सीतापुर नामक स्थान में देश के पहले निर्यात संवर्द्धन पार्क का निर्माण 22 मार्च,1997 को राजस्थान औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया गया |
- वर्तमान समय में गुजरात राज्य में 112 सूती वस्त्र मिले है, जिनमे अहमदाबाद में 66 मिले है,इसे पूर्व का वोस्टन कहा जाता है |मुम्बई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है कानपूर शहर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है |
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपनिवेश का दौर 1991-92 से प्रारम्भ हुआ |

नायक समिति:

- केन्द्र सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र की वित्त संबंधी एवं रुग्णता संबंधी समस्याओं के मुल्यांकन के लिए नायक समिति का गठन किया गया था |

भारत के प्रमुख उद्योग

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर स्थापित लौह-इस्पात कारखाने -

1.राउरकेला(उड़ीसा)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया 1959 में उत्पादन शुरू हुआ	
2.भिलाई	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया 1959 में उत्पादन शुरू हुआ	
3.दुर्गापुर(प.बंगाल)	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया 1962 में उत्पादन शुरू हुआ	
4.बोकारो(झारखंड)	एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र	इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया	वर्ष 1973 में उत्पादन शुरू हुआ	
5.बर्नपुर (प.बंगाल)	निजी क्षेत्र संयंत्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा अधिग्रहित यह संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ	
6.विशाखपटटनम	चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2,256 करोड़ रुपए की लागत से रूस की सहायता से आंध्रप्रदेश में स्थापित किया गया	
7.सेलम (कर्नाटक)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया	
8.भद्रावती (कर्नाटक)	चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया	
9.विजयनगर(कर्नाटक)	चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया	
विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रमुख स्थान	
10.असम घाटी	स्थानीय चाय,चावल,तिहलन का प्रसंस्करण	
11.दार्जिलिंग क्षेत्र	स्थानीय चाय का प्रसंस्करण	
12.उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से सटा उत्तर बिहार	स्थानीय गन्ने से चीनी का उत्पादन	
13.गोदावरी-कृष्ण डेल्टा	स्थानीय तम्बाकू,गन्ना,चावल एवं तेल.सीमेंट,लघु वस्त्र	
14चेन्नई	वस्त्र,हल्की इंजीनियरिंग वस्तुएं,विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सामग्री	
सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम	

15.भारतीय दवा एवं औषधि लिमिटेड	ऋषिकेश(उत्तराचल)
16.हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड	पिंपरी(महाराष्ट्र)
17.हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	अवलीय (केरल)एवं दिल्ली
18.भारतीय उर्वरक : निगम लिमिटेड	नंगल(पंजाब),सिंदरी(झारखंड) टाम्बे,गोरखपुर,नामरूप,दुर्गापुर
19.भारत जल संयंत्र	नेवेली.नाहरकटिया.राउरकेला,टाम्बे
20.भारत हैवी इलेकट्राक्लस लिमिटेड	रानीपुर,रामचन्द्रपुर,तिरुचिरापल्ली ,भोपाल
21.सेंटल मशीन टूल्स	बेंगलूर
22.चितरंजन लोकोमोटिव वकर्स	चितरंजन(पश्चिम बंगाल)
22.डीजल लोकोमोटिव वकर्स	मडुवाडीह,वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
23.गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड	कोलकाता
24.हैवी इलेक्ट्रकल्स लिमिटेड	बेगलुर
25. हैवी इलेक्ट्रकल्स(भारत) लिमिटेड	भोपाल
26..भारत इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड	राँची
27.भारी मशीन निर्माण संयंत्र	राँची
28..भारी वाहन कारखाना	आवाड़ी(तमिलनाडू)
29.हिन्दुस्तान मशीन दुल्स	जलाहाली (कर्नाटक) बेंगलूर के समीप पिंजौर,हैदराबाद,क्लामसरी
30.हिन्दुस्तान शिपयार्ड	विशाखपट्टनम एवं कोच्चि
31.भारतीय टेलीफोन उदुयोग	बेंगलूर,नैनी,रायबरेली,मानकपुर,गोंडा
32. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री	पेरंबूर ,कपूरथला
33.भारतीय मशीन टूल निगम	अजेमर(राजस्थान)
34..मझगाँव डॉक लिमिटेड	मुम्बई
35.खनन-एवं-सम्बद्ध उपकरण निगम लिमिटेड	दुर्गापुर
36.तुंगभद्रा इस्पात उत्पादन लिमिटेड	तुंगभद्रा(कर्नाटक)
37.राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	हैदराबाद,उदयपुर(राजस्थान)
38.भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	कोरबा,रत्नगिरी
39.हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	अग्निगुडला,दरीबा(राजस्थान),मलाजखंड,राखा
40.भारत गोल्ड मांइस लिमिटेड	कोलार
41.कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड	कोलकाता

42.नेवेली लिग्नाइट निगम	नेवेली(तमिलनाडू)
43.जस्ता प्रगलक	जावर(राजस्थान)
44.राष्ट्रीय अखबारी कागज कारखाना लिमिटेड	नेपानगर(तमिलनाडू)
45.भारतीय तेल शोधक लिमिटेड	बरौनी(बिहार),नुनमाटी(असम)
46.कोचीन तेल शोधक कारखाना	कोच्ची (करेल)
47.कोयली तेल शोधक कारखाना	कोयली (गुजरात)
48.भारतीय विस्फोटक कारखाना	गोमिया,(झारखंड)
49.हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कम्पनी लिमिटेड	ऊटकमंडलम(तमिलनाडू)
लघु एवं कुटीर उद्योग	
50.साड़ी एवं धोती	तमिलनाडू,मध्यप्रदेश,पश्चिम बंगाल,वाराणसी,कर्नाटक
51.मुद्रण	मुर्शिदाबाद,फर्रुखाबाद,जयपुर,मुम्बई,कर्नाटक
52.दरी कालीन	मिर्जापुर,भदोही,एलोरया,कश्मीर,जयपुर,बेंगलूर
53.रेशमी साड़ियाँ	बेंगलूर,कांजीवरम
54.तसर रेशम	संभलपुर,अहमदाबाद
55.धातु एवं पीतल के बर्तन	मुरादाबाद
56.हाथी दाँत से बने सामान	आंध्रप्रदेश,कर्नाटक,तमिलनाडू,राजस्थान

HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!

Empowering Youth
Empowering Nation
HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!